



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
10/09/2012	<p style="text-align: center;"> <b>सारण समाहरणालय, छपरा</b>  <b>न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।</b>  <b>जिला विधि प्रशाखा</b>  <b>आंगनबाड़ी अपील सं० 14/2012</b>  <b>अनामिका प्रकाश एवं किरण देवी</b>  <b>बनाम</b>  <b>बिहार सरकार एवं अन्य</b>  <b>आदेश</b> </p> <p>दोनों अपीलकर्ताओं तथा प्रतिवादी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सुना। अपीलकर्ताओं का पक्ष है कि राज्यस्तरीय जाँच दल, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना, द्वारा सारण जिला के सोनपुर परियोजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के क्रम में आंगनबाड़ी केन्द्र सं० 130 बंद पाये जाने के आरोप में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण के ज्ञापन क्र 467/प्र० दिनांक 17/04/2012 द्वारा अवैधानिक तरीके से सेविका एवं सहायिका को चयन मुक्त कर दिया गया।</p> <p>अपीलकर्ताओं का तर्क है कि राज्यस्तरीय जाँच दल का जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य साक्ष्य उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके कारण वे समुचित जवाब नहीं दे सके। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल है।</p> <p>अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण के आदेश को अवैधानिक होने के कारण उसे set aside करते हुए अभिलेख जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को रिमिट किया जाता है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण को आदेश दिया जाता है कि वे सभी साक्ष्य अपीलकर्ता को उपलब्ध कराएँ तथा मामले का विधि-सम्मत निष्पादन दो माह के अंदर करना सुनिश्चित करें।</p> <p style="text-align: center;">बट निष्पादित।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">   <b>जिला दंडाधिकारी,</b>  <b>सारण, छपरा।</b> </p> <p style="text-align: right;">   <b>जिला दंडाधिकारी,</b>  <b>सारण, छपरा।</b> </p>	